न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/23/2022	12–04–2022	23–08–2022

01– कृष्ण पुत्र सूरजभान जाति अहीर निवासी ग्राम उँछपुर तहसील बानसूर जिला अलवर (राजस्थान)

अपीलाण्ट

बनाम

01– राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का महनपुर तहसील बानसुर जिला अलवर (राजस्थान)

02– राजस्थान सरकार जरिय तहसीलदार बानसूर जिला अलवर।

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्व निर्णय तहसीलदार बानसूर दिनांक 15.03.2022 अन्तर्गत धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 22/2021

उपस्थित–

01–श्री राजेश गुप्ता –वकील अपीलाण्ट

01–श्री दीपक मीना –राजकीय अभिभाषक

निर्णय

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार बानसूर के आदेश दिनांक 15.03.2022 प्रकरण संख्या 22/2021 जिसके द्वारा सम्वत 2078 में अपीलान्ट को ग्राम उँछपुर तहसील बानसूर जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 820 रकबा 14.10 है0 किस्म चारागाह में से 0.10 है0 भूमि पर सरसो की फसल काश्त किये जाने पर /पश्चातवर्ती अतिक्रमण के विरूद्व तीन माह का सिविल कारावास/ बेदखली/पैनल्टी से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

वकील अपीलांट उपस्थित। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि ग्राम उँछपुर तहसील बानसूर जिला अलवर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 820 रकबा 14.10 है0 किस्म चारागाह में से 0.10 है0 भूमि पर अपीलान्ट ने कोई कब्जा नही किया गया है, ना ही काश्त की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान के आधार पर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। आराजी खसरा नम्बर 820 रकबा 14.10 है0 किस्म चारागाह में से 0.10 पर अतिक्रमण करना बताया है। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा में आदेश पारित किया गया है। मिन अपीलान्ट को सुना नही गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के मौखिक बयानात के आधार पर आलोच्य आदेश विधि विरूद्व पारित किया गया है, उक्त प्रकरण में भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 91 (6) की पालना नही की गई है, न ही पटवारी हल्का द्वारा पूर्व में निर्णयो की कोई सत्यापित प्रतिलिपि उक्त प्रकरण में तहत अदालत के समक्ष पेश की है, जिस कारण से पश्चातवर्ती अतिक्रमण को पटवारी हल्का द्वारा किसी भी प्रकार से साबित

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

नही किया गया है। जिस आधार पर पारित निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। अपील अपीलान्टस स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को अपास्त किया जावे।

राजकीय अभिभाषक उपस्थित। विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि आराजी खसरा नम्बर 820 रकबा 14.10 है0 किस्म चारागाह जो धारा 16 के तहत प्रतिबन्धित भूमियो की क्षेणी में आती है। जिस पर किसी को अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नही है, अवैध कब्जा किये जाने पर तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुए पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर अतिक्रमीयो के विरूद्व तीन माह का सिविल कारावास/ बेदखली/पैनल्टी से दण्डित किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है। अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि ग्राम उॅछपुर तहसील बानसूर जिला अलवर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 820 रकबा 14.10 है0 किस्म चारागाह में से 0.10 है0 भूमि पर अपीलान्ट ने कोई कब्जा नही किया गया है, ना ही काश्त की गई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं बयान के आधार पर आलोच्य आदेश पारित किया गया है। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट के विरूद्व एकतरफा में आदेश पारित किया गया है। मिन अपीलान्ट को सुना नही गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तो के विपरित है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। पटवारी हल्का महनपुर तहसील बानसूर द्वारा दिनांक 29.11.2021 को सम्वत 2078 में आराजी खसरा न0 820 रकबा 14.10 है0 में से रकबा 0.10 है0 किस्म चारागाह में सरसो की फसल काश्त किये जाने अवैध कब्जा करने पर पेश की गयी। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर अतिक्रमी को पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने पर धारा 91 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत नोटिस जारी कर दिनाक 3012.2021 को तलब किया गया। अतिक्रमी उपस्थित होकर जवाब पेश करने हेतु समय चाहा गया जिस हेतु दिनाक 20.01.2022 नियत की गयी अतिक्रमी उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया अतिक्रमी द्वारा अपने जवाब में दिनाक 20.01.2022 स्वयं स्वीकार किया गया है, कि आराजी खसरा न0 820 वाके गाम उछपुर में रकबा 0.10 है0 पर मैरा कब्जा है, फसल पकने पर उपरोक्त रकबा खाली कर दूगा। एवं पटवारी हल्का के बयान दर्ज किये गये। पटवारी हल्का ने अपने बयान दिनाक 20.1.2022 में अंकित किया है, कि आराजी खसरा न0 820 रकबा 14.10 है0 किस्म चारागाह जो राजकीय भूमि है जिस पर कृष्णा पुत्र सूरजभान पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था जिसे पूर्व में धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही कर बेदखल किया गया था, वर्तमान में अतिक्रमी द्वारा पुनः अतिक्रमण किया गया है, यह अतिक्रमी पश्चातवर्ती है, तथा बार–बार अतिक्रमण करने का आदि है। यह कहना गलत है, कि तहत अदालत द्वारा पटवारी हल्का के मौखिक बयानात के आधार पर आलोच्य आदेश विधि विरूद्व पारित किया गया है, उक्त प्रकरण में भू0 राजस्व अधिनियम की धारा 91 (6) की पालना नही की गई है, जिस कारण से पश्चातवर्ती अतिक्रमण को पटवारी हल्का महनपुर द्वारा किसी भी प्रकार से साबित नही किया गया है। वर्णित आराजी चारागाह राजकीय भूमि है, जो धारा 16 के तहत प्रतिवंधित भूमियो की क्षेणी में होने के कारण किसी को भी अतिक्रमण किये जाने का कोई अधिकार नही है। तहत अदालत द्वारा विधिवत कार्यवाही पूर्ण कर विधिसम्मत दिनाक 15.03.2022 को निर्णय पारित किया गया है, पारित निर्णय की पालना में तहत अदालत द्वारा फर्द नीलामी/बेदखली पर्चा मौका की कार्यवाही की गयी है। पारित निर्णय न्यायोचित प्रकियानुसार है, किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित प्रतीत नही होता है। अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज०)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 15.03.2022 यथावतः रखा जाता है, निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकार्ड के साथ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावें। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 23.08.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23-08-2022

(अखिलेश कुमार पिपल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज0)
THE ADDITIONAL COLLECTOR (I) ALWAR (RAJ.)